



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च, 2018-चैत्र 2, शके 1940

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम बबलू मीना पुत्र स्व. श्री मथुरा प्रसाद मीना, जन्मतिथि 05-04-1979, व्यवसाय वकालत, निवासी म. नं.-37, ग्राम व पोस्ट इमलिया, तहसील हुजूर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश है, किन्तु दिनांक 14-03-2018 से मैंने अपना नाम परिवर्तित कर बबलू मीना के स्थान पर शुभम मीना कर लिया है, अब से मेरा नाम शुभम मीना पुत्र स्व. श्री मथुरा प्रसाद मीना के नाम से जाना-पहचाना जावे एवं सभी सम्बंधित अभिलेखों में मेरा नाम परिवर्तित किया जावे.

पुराना नाम :

( बबलू मीना )

(830-बी.)

नया नाम :

( शुभम मीना )

आत्मज स्व. श्री मथुरा प्रसाद मीना,  
म. नं.-37, ग्राम व पोस्ट इमलिया,  
तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

#### नाम परिवर्तन

मैं, शीबा रहमान पत्नी श्री अतीकुर्रहमान, निवासी नबाब का कुंआ, रिलायन्स फ्रेश शॉप के पास, शिन्दे की छावनी, लश्कर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) की होकर सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम विवाह पूर्व सीमा सुलतान पुत्री अखतर अली था. जो कि मेरी मार्कशीट व निकाहनामों में अंकित था. जो मेरे शादी के पूर्व का नाम है. अब शादी के उपरांत मेरा नाम आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में शीबा रहमान पत्नी अतीकुर्रहमान अंकित है जो सत्य व सही है एवं अब मुझे विवाह पश्चात् शीबा रहमान के नाम से जाना व पहचाना जाता है.

पुराना नाम :

( सीमा सुलतान )

पुत्री अखतर अली.

(831-बी.)

नया नाम :

( शीबा रहमान )

पत्नी श्री अतीकुर्रहमान,  
निवासी-नबाब का कुंआ, रिलायन्स,  
फ्रेश शॉप के पास, शिन्दे की छावनी,  
लश्कर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

### नाम परिवर्तन

मैं, श्री अजय रामचंदानी (AJAY RAMCHANDANI) आत्मज श्री हरीश रामचंदानी (HARISH RAMCHANDANI), निवासी वार्ड नं. 5, लालबर्वा रोड, वारासिवनी सर्व-साधारण व हर खास व्यक्ति एवं संस्था को सूचित करता हूँ कि मेरा घरेलू नाम अजय रामचंदानी (AJAY RAMCHANDANI) के नाम से जाना जाता हूँ, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट, भू-अभिलेख ऋण पुस्तिका एवं खसरे में भी मेरा नाम अजय रामचंदानी (AJAY RAMCHANDANI) अंकित है। परन्तु शासन द्वारा जारी किये गये दस्तावेज पेनकार्ड में मेरा नाम भूलवश अशोक रामचंदानी (ASHOK RAMCHANDANI) अंकित हैं। मैं पेन कार्ड में अपना नाम संशोधित कर अशोक रामचंदानी (ASHOK RAMCHANDANI) के स्थान पर अजय रामचंदानी (AJAY RAMCHANDANI) करना चाहता हूँ। अतः सर्व-साधारण एवं हर खास व्यक्ति एवम् संस्था को सूचित किया जाता है मेरे सभी दस्तावेजों में मुझे अजय रामचंदानी (AJAY RAMCHANDANI) के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :

( अशोक रामचंदानी )  
(ASHOK RAMCHANDANI)

(832-बी.)

नया नाम :

( अजय रामचंदानी )  
(AJAY RAMCHANDANI)

### नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम कु. मोनिका पागे पिता श्री प्रमोद पागे था, जो कि विवाह के पश्चात् अपनी काणे पति श्री आशुतोष काणे हो गया है। भविष्य में मुझे अपनी काणे पति श्री आशुतोष काणे के नाम से जाना या पहचाने जावे।

पुराना नाम :

( मोनिका पागे )  
पिता श्री प्रमोद पागे,  
छत्री बाजार टकसाल रोड,  
व्यायाम शाला के समाने, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.).  
(833-बी.)

नया नाम :

( अपनी काणे )  
पति श्री आशुतोष काणे,  
61, लोकमान्य नगर, पारिजात अपार्टमेंट,  
जी-1, इन्दौर (मध्यप्रदेश).

### नाम परिवर्तन

सर्व-विदित है कि मैं, गोपाल शर्मा पुत्र स्व. श्री मायाराम शर्मा शपथ करता हूँ कि मेरे पुत्र श्री मयंक शर्मा के पेनकार्ड नं. DCRPS8766R में मेरा नाम गोपाल शर्मा के स्थान पर गिरधर गोपाल शर्मा दर्ज हो गया है। हालांकि गिरधर गोपाल शर्मा एवं गोपाल शर्मा मेरे ही नाम हैं किंतु मेरा पुत्र अपने नाम के साथ पिताजी का नाम गोपाल शर्मा ही लेख करता है एवं भविष्य में भी करता रहेगा।

समस्त सूचित हों।

सूचनाकर्ता-

गोपाल शर्मा,

पुत्र स्व. श्री मायाराम शर्मा,

पता-नाका चन्द्रवदनी, नहर वाली माता के पास,  
गली नं. 4 लश्कर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश)-474009.

(834-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शालिनी दीक्षित पुत्री श्री दिनेश दीक्षित एवं पत्नी श्री सौरभ मिठास, निवासी डी-40, सेक्टर-3, विनय नगर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) यहकि, मुझ प्रार्थिनी का विवाह पूर्व नाम शालिनी दीक्षित था। जो मैंने विवाह उपरांत बदलकर श्रीमती नुपुर मिठास पत्नी श्री सौरभ मिठास कर लिया है। परन्तु मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम शालिनी दीक्षित अंकित है जो विवाह पूर्व के हैं एवं विवाह उपरांत निर्मित मेरे अन्य कागजात जैसे-पेनकार्ड, आधारकार्ड, पासपोर्ट आदि में मेरा नया नाम श्रीमती नुपुर मिठास ही अंकित है जो सही है। अतः समस्त जगह मुझे नुपुर मिठास के नाम से ही मान्यता दी जावे एवं जाना, पहचाना जाये।

पुराना नाम :

( शालिनी दीक्षित )

(835-बी.)

नया नाम :

( नुपुर मिठास )

पत्नी श्री सौरभ मिठास,  
निवासी-डी 40, सेक्टर-3, विनय नगर,  
ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं रामखेलावन दाहिया (दहायत) पिता स्व. श्री गजाधर प्रसाद दाहिया पश्चिमी हवाई पट्टी आदिवासी छात्रावास के पीछे आदर्श नगर सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना मध्यप्रदेश का हूँ मेरा पुत्र प्रतीक दाहिया, उम्र 23 वर्ष जो कि बी. काम स्नातक तक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है. जिसमें पुत्र प्रतीक के 10वीं, 12वीं एवं स्नातक की अंकसूची में मेरा नाम रामखेलावन दाहिया की जगह सीमेश कुमार वर्मा अंकित है एवं मेरे पुत्र के नाम में प्रतीक वर्मा अंकित है जो कि गलत है सही नाम प्रतीक दाहिया पुत्र रामखेलावन दाहिया होना चाहिए जो सत्य एवं सही है, अतः उपरोक्त नाम एवं उपनाम परिवर्तित किया जाय.

पुराना नाम :

( सीमेश कुमार वर्मा )

(836-बी.)

नया नाम :

( रामखेलावन दाहिया )

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम धीवेश गांगिल पुत्र दीपक गांगिल था. जिसको मैंने बदलकर अंकित गांगिल कर लिया है. भविष्य में मेरे समस्त कार्य अंकित गांगिल के नाम से ही सम्पन्न होंगे एवं मेरे समस्त शैक्षणिक अशैक्षणिक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड आदि में मेरा नाम अंकित गांगिल है. अतः अब मुझे भविष्य में अंकित गांगिल पुत्र श्री दीपक गांगिल के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( धीवेश गांगिल )

पुत्र श्री दीपक गांगिल.

(837-बी.)

नया नाम :

( अंकित गांगिल )

पुत्र श्री दीपक गांगिल,  
निवासी—पवन विहार कॉलोनी,  
जनक हॉस्पिटल के पास, हुजरातपुल  
लशकर, ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती संगीता उर्फ पिकी पुत्री श्री पूरन सिंह गोरखपुरी का विवाह श्री देवेन्द्र साहूकार से 20-01-2003 को हिन्दू रीतिरिवाज से सम्पन्न हुआ था. लेकिन आपसी मत भिन्नता के कारण आपसी सहमति से हमारा विवाह विच्छेद 28-01-2013 को हो चुका है. देवेन्द्र साहूकार से मुझे एक पुत्री है. जिसका कानूनी तौर पर मुझे संरक्षण प्राप्त है. अतः मेरी पुत्री व मेरा कानूनी तौर से अब देवेन्द्र साहूकार से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है. मेरी पुत्री कु. यशवी का विधिक संरक्षण मिलने पर देवेन्द्र साहूकार को कोई आपत्ती नहीं है. मेरा पुर्नविवाह श्री प्रदीप निखारे से 22-11-2015 को हिन्दू रीति-रिवाज से हुआ है. अब मैं श्रीमती संगीता पत्नी प्रदीप निखारे के नाम से जानी जाती हूँ एवं मेरी पुत्री कु. यशवी भी पुत्री प्रदीप निखारे के नाम से जानी जाएगी. अतः इस संबंध में अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो तीस दिनों के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज कराए अन्यथा मेरी पुत्री के पिता के स्थान के नाम पर स्कूल सर्टिफिकेट या कानूनी दस्तावेजों में श्री प्रदीप निखारे का नाम अंकित हो जायेगा.

पुराना नाम :

( संगीता उर्फ पिकी )

पत्नी श्री देवेन्द्र साहूकार.

(849-बी.)

नया नाम :

( संगीता निखारे )

पत्नी श्री प्रदीप निखारे,  
पता-आदर्श कॉलोनी, गोले का मंदिर,  
ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ).

**नाम परिवर्तन**

मैं, SWARAN SINGH MANKOTIA S/o SURJIT SINGH MANKOTIA यह सूचित करता हूँ कि मेरी हायर सेकेन्ड्री की अंकसूची में मेरा नाम SWARAN SINGH S/o SURJIT SINGH लिखा हुआ है. जबकि मेरा पूरा नाम SWARAN SINGH MANKOTIA S/o SURJIT SINGH MANKOTIA है MANKOTIA मेरा उपनाम है जोकि मेरे आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक व ड्रायविंग लायसेन्स आदि में लिखा हुआ है. अतः मेरे नाम को SWARAN SINGH MANKOTIA S/o SURJIT SINGH MANKOTIA ही पढा एवं समझा जावे.

पुराना नाम :

(SWARAN SINGH)

(850-बी.)

नया नाम :

(SWARAN SINGH MANKOTIA)

पता-753/1-ए, Bilhari Mandla Road,  
Bilhari, Jabalpur (M.P.).

### उप-नाम परिवर्तन

मैं, आशा ग्रोवर (ASHA GROVER) पत्नी श्री एच. के. ग्रोवर एवं पुत्री श्री राम प्रकाश सचदेव, निवासी 52, ओल्ड खेड़ापति कॉलोनी, फूलबाग, ग्वालियर (म.प्र.) एतद्वारा घोषित करती हूँ कि विवाह के पूर्व मेरा नाम आशा सचदेव था और विवाह के पश्चात् मुझे आशा ग्रोवर नाम से जाना एवं पहचाना जाता है तथा भविष्य में भी इसी नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

( आशा सचदेव )

(854-बी.)

नया नाम :

( आशा ग्रोवर )

52, ओल्ड खेड़ापति कॉलोनी,  
फूलबाग, ग्वालियर.

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लायन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्टेड ने दिनांक 01 दिसम्बर, 2011 से अपना कार्यालय 52, अमरनाथ कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)-462042 से "लायन टावर" प्लॉट नं. 97, ऐलीगेंट स्टेट, नियर मदर टेरेसा स्कूल, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)-462042 पर स्थानांतरित कर लिया है.

लायन टॉवर,

O.N. Sharma,

Liyaqat Hussain, Manju Sharma

प्लॉट नं. 97, ऐलीगेंट स्टेट,

नियर मदर टेरेसा स्कूल, कोलार रोड,

भोपाल (म.प्र.)-462042.

(838-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म बालाजी कालोनाईजर्स बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.) (मारुती नगर) के पार्टनर श्रीपूरन कुमार आड़वानी आत्मज स्व. श्री जेठानंद आड़वानी जी का निधन दिनांक 19-01-2018 को हो गया है. उनकी वसीयत के अनुसार उनकी जगह श्री गोपालदास आड़वानी आत्मज धनराज आड़वानी को फर्म में दिनांक 01-03-2018 से शामिल किया जा रहा है. अतः दिनांक 01-03-2018 से फर्म का संचालन गोपालदास आड़वानी आत्मज धनराज आड़वानी एवं नीलेश मानकर आत्मज स्व. श्री यादोराव मानकर द्वारा किया जायेगा.

फर्म-मैसर्स बालाजी कालोनाईजर्स, बरेली,

गोपाल दास आड़वानी,

(पार्टनर).

(839-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म बालाजी प्रापर्टीज बाड़ी, जिला रायसेन म.प्र. (हिंगलाज नगर) के पार्टनर श्री पूरन कुमार आड़वानी आत्मज स्व. श्री जेठानंद आड़वानी जी का निधन दिनांक 19-01-2018 को हो गया है. उनकी वसीयत के अनुसार उनकी जगह श्री गोपालदास आड़वानी आत्मज धनराज आड़वानी को फर्म में दिनांक 01-03-2018 से शामिल किया जा रहा है. अतः दिनांक 01-03-2018 से फर्म का संचालन गोपालदास आड़वानी आत्मज धनराज आड़वानी एवं नीलेश मानकर आत्मज स्व. श्री यादोराव मानकर द्वारा किया जायेगा.

फर्म-मैसर्स बालाजी प्रापर्टीज,

नीलेश मानकर,

(पार्टनर)

(840-बी.)

बाड़ी, जिला रायसेन (म.प्र.).

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म बालाजी लैण्ड डेव्हलपर्स जानकी नगर नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के पार्टनर श्री पूरन कुमार आड़वानी आ. श्री जेठानंद आड़वानी का निधन 19-01-2018 को हुआ है. उनकी वसीयत के अनुसार उनकी जगह श्री कुंवर वीरेन्द्र सिंह पटेल आ. श्री हरप्रसाद जी पटेल नेहरू वार्ड झिरना रोड, नरसिंहपुर को फर्म में 01-03-2018 से शामिल किया जा रहा है. अतः फर्म का संचालन वीरेन्द्र पाण्डेय आ. श्री डॉ. रोहिणी पाण्डेय, पता निर्मल नगर बालाघाट एवं श्री सतीश चंद कटारिया आ. स्व. श्री भागचंद कटारिया गयादत्त वार्ड नरसिंहपुर द्वारा किया जावेगा.

इशतहारकर्ता,

वीरेन्द्र पाण्डेय.

(841-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म बालाजी प्रॉपर्टीज गाडरवारा (अशोक बिहार एक्वेशन) के पार्टनर श्री पूरन कुमार आड़वानी आ. स्व. जेठानंद आड़वानी का निधन दिनांक 19-01-2018 को हो गया है। उनकी वसीयत के अनुसार उनकी जगह श्री गोपालदास आड़वानी आ. स्व. श्री धनराज आड़वानी फर्म में रहेंगे। अतः अब 01-03-2018 से फर्म का संचालन श्री हरेन्द्र सिंह पटेल आ. देवकरण सिंह पटेल, निवासी इमलिया गाडरवारा एवं श्री वीरेन्द्र पांडे आ. डॉ. रोहणी पांडे निर्मल नगर बालाघाट के द्वारा किया जावेगा।

(842-बी.)

इशतहारकर्ता,  
हरेन्द्र सिंह.

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म बालाजी बिल्डर्स पिपरिया, जिला होशंगाबाद (म.प्र.) पचमढी विहार के पार्टनर श्री पूरन कुमार आड़वानी आत्मज स्व. श्री जेठानंद आड़वानी का निधन दिनांक 19-01-2018 को हो गया है। इनकी वसीयत के अनुसार उनकी जगह श्री कुंअर वीरेन्द्र प्रताप सिंह आत्मज श्री हरप्रसाद पटेल, निवासी नेहरू वार्ड झिरना रोड नरसिंहपुर की फर्म में दिनांक 01-03-2018 से शामिल किया जा रहा है। अतः दिनांक 01-03-2018 से फर्म को संचालन कुंअर वीरेन्द्र प्रताप सिंह आत्मज हर प्रसाद सिंह पटेल, वीरेन्द्र पांडेय आत्मज श्री रोहणी पाण्डेय एवं नीलेश मानकर आत्मज स्व. श्री यादोराव मानकर द्वारा किया जायेगा।

(843-बी.)

फर्म-मैसर्स बालाजी बिल्डर्स पिपरिया,  
द्वारा-असीम मौर्य,  
(अधिवक्ता).  
पंजीयन क्र. 2247/2000,  
पिपरिया, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश.

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म बालाजी कालोनाईजर्स शहपुरा भितौनी, जिला जबलपुर के पार्टनर पूरन कुमार आड़वानी आत्मज स्व. श्री जेठानंद आड़वानी, निवासी आनंद नगर, बालाघाट का निधन 19-01-2018 को हो गया है। उनकी वसीयत के अनुसार उनकी जगह कुंअर वीरेन्द्र सिंह पटेल आ. स्व. श्री हरप्रसाद पटेल, निवासी नेहरू वार्ड झिरना रोड, नरसिंहपुर को फर्म में दिनांक 01-03-2018 को शामिल किया जा रहा है एवं उपरोक्त फर्म के भागीदार श्री देवचंद जैन आत्मज स्व. सोने लाल जैन, निवासी बजरंग वार्ड गोटेगाँव का निधन 11-01-2017 को हो गया है। इनकी जगह इनके पुत्र अमित कुमार जैन आत्मज स्व. श्री देवचंद जैन को भी 01-03-2018 को शामिल किया जा रहा है। अतः फर्म का संचालन वीरेन्द्र पाण्डेय आ. डॉ. रोहिणी पाण्डेय, निवास निर्मल नगर, बालाघाट एवं चौ. डिल्ली सिंह पटेल आत्मज कुंअर सिंह पटेल, निवासी ग्राम मगरधा, नरसिंहपुर के द्वारा किया जाएगा।

(844-बी.)

फर्म-मैसर्स बालाजी कालोनाईजर्स शहपुरा,  
वीरेन्द्र पाण्डेय  
(पार्टनर).

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स बालाजी कालोनाईजर्स होशंगाबाद (गोकुल धाम) म.प्र. के पार्टनर श्री पूरन कुमार आड़वानी आ. स्व. श्री जेठानंद आड़वानी जी का निधन 19-01-2018 को हो गया है। उनकी वसीयत के अनुसार उनकी जगह श्री कुंअर वीरेन्द्र सिंह पटेल आ. स्व. श्री हरप्रसाद पटेल, निवासी नेहरू वार्ड झिरना रोड, नरसिंहपुर को फर्म दिनांक 09-03-2018 से शामिल किया जा रहा है। अतः दिनांक 09-03-2018 से फर्म का संचालन संजय तिवारी आ. स्व. श्री जीवनलाल तिवारी द्वारा किया जायेगा।

(845-बी.)

फर्म-मैसर्स बालाजी कोलोनाईजर्स होशंगाबाद,  
संजय तिवारी,

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म बालाजी बिल्डर्स नर्मदा नगर एक्सटेंशन करेली, जिला नरसिंहपुर के पार्टनर श्री पूरन आड़वानी आ. श्री जेठानंद आड़वानी का निधन 19-01-2018 को हुआ है। उनकी वसीयत के अनुसार उनकी जगह श्री कुंअर वीरेन्द्र सिंह पटेल आ. श्री हरप्रसाद जी पटेल नेहरू वार्ड झिरना रोड, नरसिंहपुर को फर्म में 01-03-2018 से शामिल किया जा रहा है। अतः फर्म का संचालन वीरेन्द्र पाण्डेय आ. श्री डॉ. रोहिणी पाण्डेय निर्मल नगर, बालाघाट एवं श्री चौ. डिल्ली सिंह पटेल आ. श्री कुंअर सिंह पटेल ग्राम मगरधा, जिला नरसिंहपुर द्वारा किया जायेगा।

(846-बी.)

इशतहारकर्ता,  
वीरेन्द्र पाण्डेय.

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म बालाजी लेण्ड डेव्हलपर्स जानकी विहार सांखेड़ा के पार्टनर श्री पूरन कुमार आड़वानी आ. स्व. श्री जेठानंद आड़वानी का निधन दिनांक 19-01-2018 को हो गया है। उनकी वसीयत के अनुसार उनकी जगह गोपाल दास आड़वानी आ. स्व. श्री धनराज आड़वानी को शामिल किया जा रहा है। अतः स्व. पूरन कुमार आड़वानी जी की जगह श्री गोपादास आड़वानी फर्म में रहेंगे। अतः अब 01-03-2018 से फर्म का संचालन श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, निवासी सांखेड़ा श्री अशोक कुमार अग्रवाल आ. श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल एवं श्रीमती सरला देवी अग्रवाल पति श्री अशोक अग्रवाल, निवासी गाडरवारा एवं श्री वीरेन्द्र पांडेय आ. डॉ. रोहणी पाण्डेय, निवासी निर्मल नगर बालाघाट फर्म के द्वारा फर्म का संचालन किया जावेगा।

(847-बी.)

इशतहारकर्ता,  
**नरेन्द्र कुमार अग्रवाल.**

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म बालाजी कोलोनाइजर्स पिपरिया, जिला होशंगाबाद (म.प्र.) पचमढी विहार के पार्टनर श्री पूरन कुमार आड़वानी आत्मज स्व. श्री जेठानंद आड़वानी का निधन दिनांक 19-01-2018 को हो गया है। इनकी वसीयत के अनुसार उनकी जगह श्री कुंअर वीरेन्द्र प्रताप सिंह आत्मज श्री हरप्रसाद पटेल, निवासी नेहरू वार्ड झिरना रोड नरसिंहपुर को फर्म में दिनांक 01-03-2018 से शामिल किया जा रहा है। अतः दिनांक 01-03-2018 से फर्म को संचालन कुंअर वीरेन्द्र प्रताप सिंह आत्मज हर प्रसाद सिंह पटेल, वीरेन्द्र पांडेय आत्मज श्री रोहणी पाण्डेय एवं नीलेश मानकर आत्मज स्व. श्री यादोराव मानकर द्वारा किया जायेगा।

(848-बी.)

फर्म-मैसर्स बालाजी कॉलोनाइजर्स पिपरिया,  
**द्वारा-असीम मौर्य,**  
(अधिवक्ता).  
पंजीयन क्र. 2247/2000,  
पिपरिया, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश.

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सिद्धि विनायक एग्री इण्डस्ट्रीज स्थित 07 लोहाघर रोड, विलेज करूआ, जिला मुरैना जिसका पंजीयन क्रमांक 02/44/01/00163/14, दिनांक 14-10-2014 है। जिसमें दिनांक 01-12-2017 को भागीदार श्री मदनलाल अग्रवाल पुत्र श्री नत्थीलाल अग्रवाल, निवासी पंचायती धर्मशाला के पास, मुरैना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

(851-बी.)

फर्म-मैसर्स सिद्धि विनायक एग्री इण्डस्ट्रीज,  
**कमल अग्रवाल,**  
(भागीदार).  
07, लोहाघर रोड, विलेज करूआ,  
जिला मुरैना.

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सुमित्रा देवी कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस फैक्ट्री स्थित नियर गंजरामपुर तिराहा, अम्बाहा रोड, मुरैना जिसका पंजीयन क्रमांक 02/44/01/0134/17, दिनांक 14-01-2017 है। जिसमें दिनांक 09-11-2016 से भागीदारों का लाभ-हानि अनुपात परिवर्तित किया जा रहा है-

भागीदार का नाम	लाभ हानि का पुराना अनुपात	लाभ हानि का नया अनुपात
श्री राहुल गुप्ता	10 प्रतिशत	25 प्रतिशत
श्रीमती कमलेश गुप्ता	40 प्रतिशत	40 प्रतिशत
श्री गोविंद गुप्ता	50 प्रतिशत	35 प्रतिशत

आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

(852-बी.)

फर्म-सुमित्रा देवी कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस फैक्ट्री,  
**राहुल गुप्ता,**  
(भागीदार).  
नियर गंजरामपुर तिराहा, अम्बाहा रोड, मुरैना.

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स एस. एस. आर. कन्सट्रक्शन स्थित 112/1 सूर्या विहार कॉलोनी, पिन्टो पार्क, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0236/14, दिनांक 30-12-2014 है। जिसमें दिनांक 24-06-2017 को भागीदार श्री संजीव अवस्थी, निवासी 213-ए, श्याम नगर, इन्दौर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

**राजेश कुमार सविता,**  
(भागीदार).  
हजीरा, ग्वालियर.

(853-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ए. के. कन्सट्रक्शन कम्पनी करैरा, न्यू कॉलोनी करैरा, जिला शिवपुरी है। जिसका पंजीयन क्रमांक एआरजी/फर्म/26, दिनांक 16-09-2003 है जिसमें दिनांक 21-09-2016 को भागीदार श्री मदनलाल जैन पुत्र श्री हरलाल जैन की मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 15-10-2016 को भागीदार श्री एच. एन. अग्रवाल पुत्र श्री स्व. लक्ष्मीराम अग्रवाल, निवासी गुना एवं श्री ओमप्रकाश मंगल पुत्र स्व. श्री रामभरोसी मंगल, निवासी शिवपुरी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 15-10-2016 को श्रीमति विनोद गुप्ता पत्नि श्री वी. पी. गुप्ता, निवासी गांधी कॉलोनी, शिवपुरी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई हैं एवं इसी दिनांक 15-10-2016 को फर्म का नवीन पता-वार्ड क्र. 31 मकान क्र. 445 आकाशवाणी मार्ग शिवशक्ति नगर शिवपुरी हो गया है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

**आजाद जैन,**  
(भागीदार).  
अनुष्काविला टी. वी. टावर, शिवपुरी.

(856-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म बालाजी कोलोनाइजर्स श्री यशोदा नगर गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के पार्टनर श्री पूरन कुमार आड़वानी आत्मज स्व. श्री जेठानंद आड़वानी का निधन दिनांक 19-01-2018 को हो गया है। उनकी वसीयत के अनुसार उनकी जगह कुंअर वीरेन्द्र सिंह आ. श्री हरप्रसाद जी पटेल, निवासी नेहरू वार्ड झिरना रोड, नरसिंहपुर को फर्म के 01-03-2018 से शामिल किया जा रहा है एवं 01-03-2018 से ही चौ. डिल्ली पटेल पिता श्री कुमेर सिंह पटेल, निवासी मगरधा नरसिंहपुर श्री हरगुनदास जी वासवानी आ. जगताराम वासवानी, निवासी नरसिंहपुर श्री किशोरदास वासवानी आ. जगताराम, निवासी नरसिंहपुर श्री गौरव दुबे आ. श्री सुरेश प्रसाद दुबे निर्मल नगर, बालाघाट श्री विक्रान्त पटेल आ. कुंवर वीरेन्द्र सिंह पटेल, श्री रमेशराव आ. श्री जगन्नाथराव को फर्म की भागीदारी से पृथक् किया जा रहा है। अतः अब 01-03-2018 फर्म का संचालन कुंअर वीरेन्द्र सिंह पटेल आ. हर प्रसाद सिंह पटेल, निवासी नरसिंहपुर एवं वीरेन्द्र पांडेय आ. डॉ. श्री रोहणी पाण्डेय, निवासी निर्मल नगर, बालाघाट के द्वारा किया जायेगा।

इशतहारकर्ता,  
**कुंअर वीरेन्द्र सिंह पटेल.**

(857-बी.)

**विविध****निविदा सूचनाएं**

भोपाल, दिनांक 14 मार्च, 2018

**निविदा सूचना**

क्र. जी. बी./चार/मशी.(5)2018-19/663.—ऑनलाईन बिडिंग <https://www.mpeproc.gov.in> पर तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा की सीलबंद हार्डकापी (पृथक्-पृथक् लिफाफों में) निर्माता या उनके अधिकृत एजेंट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से सी.सी.टी.व्ही. कैमरा यूनिट के क्रय हेतु दरें आमंत्रित की जाती हैं।

2. टेंडर फार्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाइट [www.tenders.gov.in](http://www.tenders.gov.in), [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) पर अवलोकन किया जा सकता है।

3. समस्त पूर्तियों के उपरांत निविदा की हार्डकॉपी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 28 मार्च, 2018 को अपराहन 03.00 बजे तक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा. टेक्निकल टेंडर लिफाफा-अ की हार्डकॉपी एवं आनलाईन टेंडर उसी दिनांक 28 मार्च, 2018 को अपराहन 3.30 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेंगी.

4. सूचना/संशोधन/सुधार की स्थिति में जानकारी केवल वेबसाइट <https://www.mpeproc.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी.

राजेश कौल,

नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,  
मध्यप्रदेश भोपाल.

(420-बी.)

## न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी गोरखपुर, जिला जबलपुर

रा.प्र.कमांक 01/बी-113(4)/2017-18.

### प्रारूप-4

[नियम-5(1)देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा -5(2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1962 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

चूंकि आवेदक श्रीमति विमल कुमारी मोतीलाल भूरा चैरिटेबल ट्रस्ट जबलपुर की ओर से ट्रस्टी श्री सुनिल कुमार भूरा जबलपुर,655,मेन रोड,गोरखपुर जबलपुर के द्वारा न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 14 मार्च 2018 को विचार के लिये नियत है. कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है,अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण एवं लोक न्यास का नाम और पता)

- |                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| 1. लोक न्यास का नाम एवं पता | : | श्रीमती विमल कुमारी मोतीलाल भूरा चैरिटेबल ट्रस्ट.<br>655 मेन रोड गोरखपुर जबलपुर (मध्यप्रदेश.) |
| 2. लोक न्यास का उद्देश्य    | : | शैक्षणिक,धार्मिक एवं लोक कल्याण गतिविधियां.   |
| 3. चल सम्पत्ति              | : | 51,000/-  |
| अचल सम्पत्ति                | : | निरंक.  |

जारी, दिनांक 14 मार्च, 2018

अरविंद सिंह,

(408)

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयन, लोक न्यास, अनुभाग दतिया

प्र.क. 01/बी-113/2017-18.

दतिया, दिनांक 06 मार्च 2018

बनाम-आम जनता.

जरिये उद्घोषणा द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेश पटसारिया (राजेश्वर महाराज) पुत्र बंदीप्रसाद पटसारिया, निवासी मुडियन का कुंआ दतिया द्वारा लोक न्यास पंजीयन 1051 की धारा 4 के तहत "आराधिका सेवाश्रम ट्रस्ट दतिया" के गठन किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है.—

1. न्यास का पूरा नाम— "आराधिका सेवाश्रम ट्रस्ट दतिया"
2. न्यास का कार्यालय का स्थायी पता— कृष्णायन ज्योतिष कार्यालय मुडियन का कुंआ दतिया.



**लोक न्यास का उद्गम प्रकृति और उद्देश्य:-**

नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में वृद्ध व आवारा गाय व गौवंश की देखभाल व विकास हेतु गोशला का निर्माण करना, संचालन करना, मानवीय धर्म से जुड़ी गतिविधियों व सत्संग.

3. न्यास की चल/अचल संपत्ति का विवरण:- 10,000 रुपये.

4. न्यास की आय का स्रोत:- न्यासी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा दान में की गई राशि.

उक्त ट्रस्ट के पंजीयन के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिवस के अन्दर इस न्यायलय में प्रस्तुत करें. अवधि समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

**क्षितिज सिंघल,**

अनुविभागीय अधिकारी.

(409)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक परगना आरोन, जिला गुना**

प्र.क. 01/बी-113/2017-18.

**प्रारूप-चतुर्थ**

[ नियम-5(1) देखिए ]

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट (1953 का तीसवा) की धारा-5(2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-3(1) देखिये ]

चूँकि श्री सियाराम सेवा कुंज धार्मिक, पारमार्थिक एवं शैक्षणिक ट्रस्ट आरोन जिला गुना द्वारा श्री चन्द्रमोहन पुत्र बालकिशन जाति शर्मा, निवासी ग्राम मातामूडरा, तहसील आरोन, अध्यक्ष एवं श्री अरविन्द शर्मा पुत्र श्री नारायण प्रसाद जाति शर्मा, निवासी मातामूडरा हाल मुकाम आरोन, तहसील आरोन, सचिव श्री सियाराम सेवा कुंज धार्मिक, पारमार्थिक एवं शैक्षणिक ट्रस्ट आरोन, जिला गुना द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 04 के अधीन अनुसूची से लोक न्यास के तहत विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 20 मार्च, 2018 को विचार के लिये लाया जावेगा. कोई व्यक्ति उक्त न्यास सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे यह सूचित किया जाता है कि यह एक लोक न्यास है और लोक न्यास के रूप में गठन कर दी है.

अतः मैं अरविन्द बाजपेयी, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक परगना आरोन, जिला गुना का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 20 मार्च, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा तथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और कोई भी मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक या तो व्यक्ति या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की सम्पत्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

चल सम्पत्तियाँ:-

न्यास के पास वर्तमान में आरोन 20,000/- आमदनी तथा वार्षिक खर्चा 20,000/- होना बताया है.

अचल सम्पत्तियाँ:-

नगर आरोन में भूमि सर्वे क्रमांक-1307/3 रकवा 1.045 हैक्टर भूमि में मंदिर/धर्मशाला बनी हुई है. मंदिर में 55,000/- नगद 10,000/- के मंजीरा चक्र मूर्ति की पोषाक, रसोई का सामान, जग, गिलास, 50 कटोरी, 50 डोंगा, 20 बड़े भगौने, 04 छोटे भगौने, 08 बड़ी, 08 ट्रे छोटी, 20 कीमत 10,000 जैट मोटर, डोरी स्टाटर, हैडपंप कीमत 10,000/- होना बताया है.

आज दिनांक 20 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किये गये.

**अरविन्द बाजपेयी,**

एस. डी. ओ. एवं रजिस्ट्रार.

(410)

**न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट इन्दौर**

**फार्म-चार**

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत ]

आवेदक कैलाशा ट्रस्ट तर्फे न्यासी सुनील कुमार त्रिवेदी, पिता श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी, निवासी-502, प्रिंसेस गार्डन, 26-29 वैकुण्ठधाम कॉलोनी, इन्दौर व अन्य-6 द्वारा कैलाशा ट्रस्ट इन्दौर, कार्यालयीन पता-त्रिवेदी चेंबर 2 महारानी रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त दावे अथवा आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	कैलासा.
पता	:	त्रिवेदी चेंबर 2 महारानी रोड, इन्दौर 452007.
चल सम्पत्ति	:	10,000/- (अक्षरी दस हजार रुपये).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 08 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(411)

शाश्वत शर्मा,  
अनुविभागीय अधिकारी.

### अन्य सूचनाएं

कार्यालय शासकीय समानुदेशित अधिकारी इंदिरा महिला बहु. सह. संस्था मर्या., इंदिरा नगर, खरगौन

दिनांक 23 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू-1.—संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर संभाग इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित आदेश से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को शासकीय समानुदेशित अधिकारी नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
1.	इंदिरा महिला बहु. सह. संस्था मर्या., इंदिरा नगर, खरगौन.	NMR/KRGN/	1324/28-05-2002	खरगौन	बी. एल. सोलंकी

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के समस्त दावेदारों की एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11:00 से 03:00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयवधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेख बद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(405)

बी. एल. सोलंकी,  
समानुदेशित अधिकारी.

## कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग

इन्दौर, दिनांक 26 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1)एवं(2) के तहत रजिस्ट्रीकरण समाप्ति बावत्]

क्र./गृह.-विधि/2018/537.—पूर्व में जारी इस कार्यालयीन सूचनापत्रों के संबंध में तथा दैनिक समाचारपत्रों (इन्दौर संस्करण) में निम्नांकित संस्थाओं के पदाधिकारियों/सम्बद्ध सदस्यों एवं जन सामान्य के सूचनार्थ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के तहत निम्नांकित संस्थाएं पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने के कारण तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित होकर पंजीकृत की गई थी, उसमें असफल रहने तथा विधिक रूप से प्रेषित सूचना पत्रों/समाचारपत्रों में प्रकाशन उपरान्त भी सम्बन्धित संस्था पदाधिकारियों/हितबद्ध सदस्यों द्वारा विधिक रूप से पक्ष समर्थन/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु विनिर्दिष्ट तिथियों पर, विनिर्दिष्ट स्थान एवं समय पर उपस्थित नहीं होने से अथवा कोई आपत्तियां या प्रतिवाद पेश न करने से निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका पंजीयन क्रमांक उनके नाम के समक्ष अंकित है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18(क)(1)एवं(2) के तहत रजिस्ट्रीकरण समाप्ति आदेश उनके नाम के समक्ष अंकित क्रमांक एवं दिनांक से जारी करते हुए शासकीय समानुदेशिनी भी नीचे वर्णित तालिका अनुसार नियुक्त किया गया है और शासकीय समानुदेशिनी द्वारा संबंधित संस्था के संबंध में समस्त आनुषांगिक एवं परिणामिक कार्यवाही जो संस्था के लिये विधि अनुसार आवश्यक हो, के निराकरण हेतु अधिकृत किया गया है। इस आदेश के अनंतर अधिकृत शासकीय समानुदेशिनी के अलावा किसी अन्य अनाधिकृत संस्था पदाधिकारी/सदस्य द्वारा कोई व्यवहार संस्था के किसी भी प्रकार के क्रियाकलापों, संयवहारों एवं अन्यान्य कार्यों के लिये किया जाता है, तो ऐसी की गई समस्त कार्यवाही अवैधानिक होगी। एतदर्थ निम्न तालिका में वर्णित समस्त संस्थाओं/हितबद्ध सदस्यों, जन सामान्य के सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ निम्नानुसार विधिक रूप से जारी किये गये आदेश की सूचना प्रसारित की जाती है:-

क्र.	पंजीयन निरस्त की गई संस्था का नाम	संस्था का पंजीयन क्रमांक व दिनांक जो निरस्त किया गया	पंजीयन निरस्ती आदेश क्रमांक व दिनांक	प्राधिकृत शासकीय समानुदेशिनी का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	श्री विनायक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	187/05-09-2013	279/30-01-2018	श्री राजेश मालवीय, उप-अंकेक्षक.
2.	क्रिस्टल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	258/05-09-2013	280/30-01-2018	श्री एम.एम.श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक.
3.	विकास सहकारी मण्डल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	265/05-09-2013	281/30-01-2018	श्री विजय दिशोरिया, उप-अंकेक्षक.
4.	दि केमिस्ट क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	139/05-09-2013	282/30-01-2018	श्री एन.के.राठौर उप-अंकेक्षक.
5.	शिवकृपा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	72/05-09-2013	283/30-01-2018	श्री बी.एल.मेहर, व.स.नि.
6.	शिक्षक कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2166/21-12-2004	284/30-01-2018	श्री आनंद खत्री, व.स.नि.
7.	रिलायबल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	54/05-09-2013	285/30-01-2018	श्री एन.के.राठौर व.स.नि.
8.	रिद्धी-सिद्धी विनायक साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2545/03-09-2012	286/30-01-2018	श्री के.के.जमरे, व.स.नि.
9.	प्रगतिशील साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	403/13-01-1972	287/30-01-2018	श्री विनोद वर्मा, स.नि.
10.	जेमिनी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2395/18-02-2009	315/01-02-2018	श्री शैलेन्द्र कुमार महाजन, उप-अंकेक्षक.

1	2	3	4	5
11.	जीवन संग्रह साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1531/16-04-1994	313/01-02-2018	श्री देवेन्द्र कुमार जैन, स.नि.
12.	जय झुलेलाल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2476/22-09-2011	314/01-02-2018	श्री अनिल कुमार राय, उप-अंकेक्षक.
13.	जय मॉ अम्बे महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2342/18-07-2008	297/30-01-2018	श्री सुनिल कुमार सक्सेना, उप-अंकेक्षक.
14.	आधार साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2519/02-02-2012	298/30-01-2018	श्री के.एस.जमरा, अंकेक्षण अधिकारी.
15.	भारतीय महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1968/04-01-2000	299/01-02-2018	श्री डी.एस.चौहान, अंकेक्षण अधिकारी.
16.	भावना साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1992/19-07-2000	300/01-02-2018	श्री एम.एस.चौहान, अंकेक्षण अधिकारी
17.	भोलेनाथ साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2103/17-01-2003	301/01-02-2018	श्री एस.एल.वास्केल, अंकेक्षण अधिकारी.
18.	भविष्य साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2515/16-11-2011	303/01-02-2018	श्री बी.एस.भूरिया, अंकेक्षण अधिकारी.
19.	चित्रगुप्त साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2489/10-02-2011	304/01-02-2018	श्री एम.एल.सुलिया, अंकेक्षण अधिकारी
20.	दि राजकुमार साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	549/23-08-1982	305/01-02-2018	श्री सतीशचंद्र खण्डेलवाल, व.स.नि.

यह सूचना-पत्र सर्वसंबंधितों की जानकारी के लिये आज दिनांक 26 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(413)

इन्दौर, दिनांक 26 फरवरी, 2018

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) एवं (2) के तहत रजिस्ट्रीकरण समाप्ति बावत् ]

क्र./गृह.-विधि/2018/538.—पूर्व में जारी इस कार्यालयीन सूचनापत्रों के संबंध में तथा दैनिक समाचारपत्रों (इन्दौर संस्करण) में निम्नांकित संस्थाओं के पदाधिकारियों/सम्बद्ध सदस्यों एवं जन सामान्य के सूचनार्थ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के तहत निम्नांकित संस्थाएं पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने के कारण तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित होकर पंजीकृत की गई थी, उसमें असफल रहने तथा विधिक रूप से प्रेषित सूचना पत्रों/समाचारपत्रों में प्रकाशन उपरान्त भी सम्बन्धित संस्था पदाधिकारियों/हितबद्ध सदस्यों द्वारा विधिक रूप से पक्ष समर्थन/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु विनिर्दिष्ट तिथियों पर, विनिर्दिष्ट स्थान एवं समय पर उपस्थित नहीं होने से अथवा कोई आपत्तियां या प्रतिवाद पेश न करने से निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका पंजीयन क्रमांक उनके नाम के समक्ष अंकित है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18(क)(1) एवं (2) के तहत रजिस्ट्रीकरण समाप्ति आदेश उनके नाम के समक्ष अंकित क्रमांक एवं दिनांक से जारी करते हुए शासकीय समानुदेशिनी भी नीचे वर्णित तालिका अनुसार नियुक्त किया गया है और शासकीय समानुदेशिनी द्वारा संबंधित संस्था के संबंध में समस्त आनुषांगिक एवं परिणामिक कार्यवाही जो संस्था के लिये विधि अनुसार आवश्यक हो, के निराकरण हेतु अधिकृत किया गया है. इस आदेश के अनंतर अधिकृत शासकीय समानुदेशिनी के अलावा किसी अन्य अनाधिकृत संस्था पदाधिकारी/सदस्य द्वारा कोई व्यवहार संस्था के किसी भी प्रकार के क्रियाकलापों, संव्यवहारों एवं अन्यान्य कार्यों के लिये किया जाता है, तो ऐसी की गई समस्त कार्यवाही अवैधानिक होगी. एतदर्थ निम्न तालिका में वर्णित समस्त संस्थाओं/हितबद्ध सदस्यों, जन सामान्य के सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ निम्नानुसार विधिक रूप से जारी किये गये आदेश की सूचना प्रसारित की जाती है:-

क्र.	पंजीयन निरस्त की गई संस्था का नाम	संस्था का पंजीयन क्रमांक व दिनांक जो निरस्त किया गया.	पंजीयन निरस्ती आदेश क्रमांक व दिनांक	प्राधिकृत शासकीय समानुदेशिनी का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	धनश्री साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1125/16-12-1991	306/01-02-2018	श्री संतोष जोशी, व.स.नि.

1	2	3	4	5
2.	दि सिद्धेश्वर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2170/11-02-2005	307/01-02-2018	श्रीमती कविता चावला, व.स.नि.
3.	ज्ञान साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2076/06-05-2002	308/01-02-2018	श्री विजय उपरीत, स.नि.
4.	ग्रीन गो साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2523/14-06-2012	309/01-02-2018	श्री जगदीशकुमार खींची, स.नि.
5.	गुड वेल्थ साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2542/21-06-2012	310/01-02-2018	श्री विनोद वर्मा, स.नि.
6.	इंदौर नायर क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1853/31-07-1997	311/01-02-2018	श्री एफ.ए.खान, स.नि.
7.	इंदौर कमर्शियल क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2353/01-02-2018	312/01-02-2018	श्री मनोज शेल्के, स.नि.
8.	श्री सार्थक साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	289/05-09-2013	221/19-01-2018	श्री सविता भायरे, स.नि.
9.	सोनिया गाँधी अल्पसंख्यक पि.वर्ग साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.,	1908/07-08-1998	222/19-01-2018	श्री संजय कुचनकर, स.नि.
10.	सेवक महिला प्राथमिक उप सहकारी भंडार., इन्दौर.	1623/10-08-1994	223/19-01-2018	श्रीमती ज्योती जोशी, उप-अंकेक्षक.
11.	सत्यमित्र व्यापारिक सुरक्षा सेवा सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2650/07-03-2014	224/19-01-2018	श्री श्यामसिंह सिसौदिया, उप-अंकेक्षक.
12.	सत्यमित्र मर्केन्टाईल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	170/05-09-2013	225/19-01-2018	श्री राजेश मालवीय, उप-अंकेक्षक.
13.	सुखलिया साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	169/05-09-2013	226/19-01-2018	श्री सुरेश भण्डारी, उप-अंकेक्षक.
14.	सुखमणी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2701/22-04-2014	227/19-01-2018	श्री विजय दिशोरिया, उप-अंकेक्षक.
15.	सुखशांति साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2161/16-09-2004	228/19-01-2018	श्री आई.सी.वर्मा, उप-अंकेक्षक.
16.	सूर्यासखी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2679/07-03-2014	229/19-01-2018	श्री एन.के.राठौर, उप-अंकेक्षक.
17.	स्वदेश मिल्स साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	690/23-09-1983	230/19-01-2018	श्री बी.एल.मेहर, व.स.नि.
18.	सर्वोदय महिला प्राथ.उप.भण्डार मर्या., इन्दौर	1609/28-07-1994	231/19-01-2018	श्री आनंद खत्री, व.स.नि.
19.	स्व. श्री राजेश जोशी स्मृति साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	242/05-09-2013	232/19-01-2018	श्री एन.के.राठौर, व.स.नि
20.	सालासार जय बालाजी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	261/05-09-2013	233/19-01-2018	श्री पी.सी.सोलंकी, व.स.नि.

यह सूचना-पत्र सर्वसंबंधितों की जानकारी के लिये आज दिनांक 26 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(414)

इन्दौर, दिनांक 26 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) एवं (2) के तहत रजिस्ट्रीकरण समाप्ति बावत्]

क्र./गृह.-विधि/2018/539.—पूर्व में जारी इस कार्यालयीन सूचनापत्रों के संबंध में तथा दैनिक समाचारपत्रों (इन्दौर संस्करण) में निम्नांकित संस्थाओं के पदाधिकारियों/सम्बद्ध सदस्यों एवं जन सामान्य के सूचनार्थ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश

सहकारी सोसायटी नियम-1962 के तहत निम्नांकित संस्थाएं पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने के कारण तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित होकर पंजीकृत की गई थी, उसमें असफल रहने तथा विधिक रूप से प्रेषित सूचना पत्रों/समाचारपत्रों में प्रकाशन उपरान्त भी सम्बन्धित संस्था पदाधिकारियों/हितबद्ध सदस्यों द्वारा विधिक रूप से पक्ष समर्थन/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु विनिर्दिष्ट तिथियों पर, विनिर्दिष्ट स्थान एवं समय पर उपस्थित नहीं होने से अथवा कोई आपत्तियां या प्रतिवाद पेश न करने से निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका पंजीयन क्रमांक उनके नाम के समक्ष अंकित है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18(क)(1) एवं (2) के तहत रजिस्ट्रीकरण समाप्त आदेश उनके नाम के समक्ष अंकित क्रमांक एवं दिनांक से जारी करते हुए शासकीय समानुदेशिती भी नीचे वर्णित तालिका अनुसार नियुक्त किया गया है और शासकीय समानुदेशिती द्वारा संबंधित संस्था के संबंध में समस्त आनुषांगिक एवं परिणामिक कार्यवाही जो संस्था के लिये विधि अनुसार आवश्यक हो, के निराकरण हेतु अधिकृत किया गया है। इस आदेश के अनंतर अधिकृत शासकीय समानुदेशिती के अलावा किसी अन्य अनाधिकृत संस्था पदाधिकारी/सदस्य द्वारा कोई व्यवहार संस्था के किसी भी प्रकार के क्रियाकलापों, संव्यवहारों एवं अन्यान्य कार्यों के लिये किया जाता है, तो ऐसी की गई समस्त कार्यवाही अवैधानिक होगी। एतदर्थ निम्न तालिका में वर्णित समस्त संस्थाओं/हितबद्ध सदस्यों, जन सामान्य के सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ निम्नानुसार विधिक रूप से जारी किये गये आदेश की सूचना प्रसारित की जाती है:-

क्र.	पंजीयन निरस्त की गई संस्था का नाम	संस्था का पंजीयन क्रमांक व दिनांक जो निरस्त किया गया	पंजीयन निरस्ती आदेश क्रमांक व दिनांक	प्राधिकृत शासकीय समानुदेशिती का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	सोना लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2658/07-03-2014	234/19-01-2018	श्री दीपक सोनी, स.नि.
2.	प्रखर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2645/04-10-2010	190/19-01-2018	श्री के.एस.मण्डलोई, अंकेक्षण अधिकारी.
3.	नवीन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2074/22-04-2002	189/19-01-2018	श्रीमती सविता भायरे, स.नि.
4.	नागरिक विकास साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1975/24-02-2000	188/19-01-2018	सुश्री दीपमाला राठौर, स.नि.
5.	मानव सेवा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2376/05-06-2008	187/19-01-2018	श्री अजय पाठक, स.नि.
6.	न्यू लक्की साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2454/18-08-2010	186/19-01-2018	श्री रोहित मुकाती, स.नि.
7.	नीलकण्ठेश्वर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	275/05-09-2013	185/19-01-2018	श्री एच.एस.तिवारी, स.नि.
8.	उँ साँईराम साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2467/24-11-2010	184/19-01-2018	श्री पूनमचंद माहोरे, स.नि.
9.	उँ श्री महाकालेश्वर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2377/06-06-2008	183/19-01-2018	श्री प्रवीण कुमार नासेरी, स.नि.
10.	प्रेस्टिज साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1132/27-02-1992	182/19-01-2018	श्री प्रदीप कुमार जैन, स.नि.
11.	मालवामिल क्षेत्र व्यापारियों की साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1090/04-09-1991	181/19-01-2018	श्री के.के.जमरे, व.स.नि.
12.	माँ दुर्गा व्यापारी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2436/23-02-2010	180/19-01-2018	श्री संजय कुचनकर, स.नि.
13.	मातृछाया साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2471/29-12-2010	179/19-01-2018	श्री दीपक सोनी, स.नि.

1	2	3	4	5
14.	मॉ बिजासन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1150/05-09-1992	178/19-01-2018	श्री एन.के.राठौर, व.स.नि.
15.	मॉ शारदा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1200/02-03-1994	177/19-01-2018	श्री आनंद खत्री, व.स.नि.
16.	मित्र सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1833/07-05-1997	176/19-01-2018	श्री बी.एल.मेहर, व.स.नि.
17.	जय मॉ काली साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2517/14-12-2011	175/19-01-2018	श्री एन.के.राठौर, उप-अंकेक्षक.
18.	जोबनेट सब. साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2284/13-12-2006	170/19-01-2018	श्री विजय दिशोरिया, उप-अंकेक्षक.
19.	जय अम्बे साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2509/16-06-2011	171/19-01-2018	श्री आई.सी.वर्मा, उप-अंकेक्षक.

यह सूचना-पत्र सर्वसंबंधितों की जानकारी के लिये आज दिनांक 26 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(415)

इन्दौर, दिनांक 26 फरवरी, 2018

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) एवं (2) के तहत रजिस्ट्रीकरण समाप्ति बावत् ]

क्र./गृह.-विधि/2018/540.—पूर्व में जारी इस कार्यालयीन सूचनापत्रों के संबंध में तथा दैनिक समाचारपत्रों (इन्दौर संस्करण) में निम्नांकित संस्थाओं के पदाधिकारियों/सम्बद्ध सदस्यों एवं जन सामान्य के सूचनार्थ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के तहत निम्नांकित संस्थाएं पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने के कारण तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित होकर पंजीकृत की गई थी, उसमें असफल रहने तथा विधिक रूप से प्रेषित सूचना पत्रों/समाचारपत्रों में प्रकाशन उपरान्त भी सम्बन्धित संस्था पदाधिकारियों/हितबद्ध सदस्यों द्वारा विधिक रूप से पक्ष समर्थन/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु विनिर्दिष्ट तिथियों पर, विनिर्दिष्ट स्थान एवं समय पर उपस्थित नहीं होने से अथवा कोई आपत्तियां या प्रतिवाद पेश न करने से निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका पंजीयन क्रमांक उनके नाम के समक्ष अंकित है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18(क)(1) एवं (2) के तहत रजिस्ट्रीकरण समाप्ति आदेश उनके नाम के समक्ष अंकित क्रमांक एवं दिनांक से जारी करते हुए शासकीय समानुदेशिती भी नीचे वर्णित तालिका अनुसार नियुक्त किया गया है और शासकीय समानुदेशिती द्वारा संबंधित संस्था के संबंध में समस्त आनुषांगिक एवं परिणामिक कार्यवाही जो संस्था के लिये विधि अनुसार आवश्यक हो, के निराकरण हेतु अधिकृत किया गया है. इस आदेश के अनंतर अधिकृत शासकीय समानुदेशिती के अलावा किसी अन्य अनाधिकृत संस्था पदाधिकारी/सदस्य द्वारा कोई व्यवहार संस्था के किसी भी प्रकार के क्रियाकलापों, संयवहारों एवं अन्यान्य कार्यों के लिये किया जाता है, तो ऐसी की गई समस्त कार्यवाही अवैधानिक होगी. एतदर्थ निम्न तालिका में वर्णित समस्त संस्थाओं/हितबद्ध सदस्यों, जन सामान्य के सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ निम्नानुसार विधिक रूप से जारी किये गये आदेश की सूचना प्रसारित की जाती है:-

क्र.	पंजीयन निरस्त की गई संस्था का नाम	संस्था का पंजीयन क्रमांक व दिनांक जो निरस्त किया गया	पंजीयन निरस्ती आदेश क्रमांक व दिनांक	प्राधिकृत शासकीय समानुदेशिती का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	युनियन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	45/05-09-2013	191/19-01-2018	श्री सतीशचंद्र खण्डेलवाल, व.स.नि.
2.	यशस्विनी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	45/05-09-2013	191/19-01-2018	श्री संतोष जोशी, व.स.नि.
3.	यश ऑफ इंडियन अध्ययन भ्रमण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2649/07-03-2014	193/19-01-2018	श्रीमती कविता चावला, व.स.नि.

1	2	3	4	5
4.	एम. ई. एस. कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	508/03-05-1977	1941/19-01-2018	श्री डी.पी.खारिया, व.स.नि.
5.	वेदमात्रा गायत्री साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2045/03-07-2001	195/19-01-2018	श्री जगदीशकुमार खीची, स.नि.
6.	सागर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2024/13-02-2001	196/19-01-2018	श्री विनोद शर्मा, स.नि.
7.	शुभ लाभ साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	71/05-09-2013	197/19-01-2018	श्री एम.ए.खान, स.नि.
8.	शुभ शिवानी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	200/05-09-2013	198/19-01-2018	श्री देवेन्द्र कुमार जैन, स.नि.
9.	शान-ऐ-हिन्द महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	44/05-09-2013	199/19-01-2018	श्री अनिल कुमार राय, उप-अंकेक्षक.
10.	शहरी कामगार महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2428/30-12-2009	200/19-01-2018	श्री शैलेन्द्र कुमार महाजन, उप-अंकेक्षक.
11.	शशी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	55/05-09-2013	201/19-01-2018	श्री सुनील कुमार सक्सेना, उप-अंकेक्षक.
12.	रायकवार साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	239/04-05-2001	202/19-01-2018	श्रीमती ज्योति जोशी, उप-अंकेक्षक.
13.	मॉ उमिया महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2041/15-05-2001	203/19-01-2018	श्री राजेश मालवीय, उप-अंकेक्षक.
14.	बाणगंगा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2041/12-12-2014	204/19-01-2018	श्री एम.एम.श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक.
15.	क्षत्रीय मराठा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	225/05-09-2013	205/19-01-2018	श्री विजय उपरीत, स.नि.
16.	उं विनायक साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	259/05-09-2013	206/19-01-2018	श्री डी.पी.खारिया, व.स.नि.
17.	इंदौर मर्केन्टाईल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	10/05-09-2013	207/19-01-2018	श्री संतोष जोशी, व.स.नि.
18.	इंदौर व्यापारी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	86/05-09-2013	208/19-01-2018	श्री सतीशचंद्र खण्डेलवाल, व.स.नि.
19.	बरखा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	126/05-09-2013	209/19-01-2018	श्री एम.एल.सुलिया, अंकेक्षण अधिकारी
20.	बाबा रामदेव श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1136/22-04-1992	210/19-01-2018	श्री बी.एस.भूरिया, अंकेक्षण अधिकारी.

यह सूचना-पत्र सर्व संबंधितों की जानकारी के लिये आज दिनांक 26 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(416)

इन्दौर, दिनांक 26 फरवरी, 2018

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) एवं (2) के तहत रजिस्ट्रीकरण समाप्ति बावत् ]

क्र./गृह.-विधि/2018/541.—पूर्व में जारी इस कार्यालयीन सूचनापत्रों के संबंध में तथा दैनिक समाचारपत्रों (इन्दौर संस्करण) में निम्नांकित संस्थाओं के पदाधिकारियों/सम्बद्ध सदस्यों एवं जन सामान्य के सूचनार्थ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश



सहकारी सोसायटी नियम-1962 के तहत निर्माकित संस्थाएं पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने के कारण तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित होकर पंजीकृत की गई थी, उसमें असफल रहने तथा विधिक रूप से प्रेषित सूचना पत्रों/समाचार-पत्रों में प्रकाशन उपरान्त भी सम्बन्धित संस्था पदाधिकारियों/हितबद्ध सदस्यों द्वारा विधिक रूप से पक्ष समर्थन/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु विनिर्दिष्ट तिथियों पर, विनिर्दिष्ट स्थान एवं समय पर उपस्थित नहीं होने से अथवा कोई आपत्तियां या प्रतिवाद पेश न करने से निर्माकित सहकारी संस्थाएं, जिनका पंजीयन क्रमांक उनके नाम के समक्ष अंकित है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18(क)(1) एवं (2) के तहत रजिस्ट्रीकरण समाप्ति आदेश उनके नाम के समक्ष अंकित क्रमांक एवं दिनांक से जारी करते हुए शासकीय समानुदेशिनी भी नीचे वर्णित तालिका अनुसार नियुक्त किया गया है और शासकीय समानुदेशिनी द्वारा संबंधित संस्था के संबंध में समस्त आनुषांगिक एवं परिणामिक कार्यवाही जो संस्था के लिये विधि अनुसार आवश्यक हो, के निराकरण हेतु अधिकृत किया गया है। इस आदेश के अनंतर अधिकृत शासकीय समानुदेशिनी के अलावा किसी अन्य अनाधिकृत संस्था पदाधिकारी/सदस्य द्वारा कोई व्यवहार संस्था के किसी भी प्रकार के क्रियाकलापों, संव्यवहारों एवं अन्यान्य कार्यों के लिये किया जाता है, तो ऐसी की गई समस्त कार्यवाही अवैधानिक होगी। एतदर्थ निम्न तालिका में वर्णित समस्त संस्थाओं/हितबद्ध सदस्यों, जन सामान्य के सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ निम्नानुसार विधिक रूप से जारी किये गये आदेश की सूचना प्रसारित की जाती है:-

क्र.	पंजीयन निरस्त की गई संस्था का नाम	संस्था का पंजीयन क्रमांक व दिनांक जो निरस्त किया गया	पंजीयन निरस्ती आदेश क्रमांक व दिनांक	प्राधिकृत शासकीय समानुदेशिनी का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	श्री दुर्गा शक्ति सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2868/07-03-2014	259/30-01-2018	श्री के.एस.मण्डलोई, अंकेक्षण अधिकारी.
2.	श्री साईं सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	40/05-09-2013	260/30-01-2018	श्री के.एस.जमरा, अंकेक्षण अधिकारी.
3.	श्री रामचंद्र साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2657/07-03-2014	261/30-01-2018	श्री डी.एस.चौहान, अंकेक्षण अधिकारी.
4.	श्री लीलाशाह साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	50/05-09-2013	262/30-01-2018	श्री एम.एस.चौहान, अंकेक्षण अधिकारी.
5.	श्री व्यंकटेश साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	196/05-09-2013	263/30-01-2018	श्रीमती कविता चावला, व.स.नि
6.	श्री सूर्यवंशी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	70/05-09-2013	264/30-01-2018	श्री बी.एस.भूरिया, अंकेक्षण अधिकारी.
7.	श्री सर्वोदय साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2402/04-06-2009	265/30-01-2018	श्री एम.एल.सुलिया, अंकेक्षण अधिकारी.
8.	श्री सद्गुरू साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	282/05-09-2013	266/30-01-2018	श्री सतीशचंद खण्डेलवाल, व.स.नि.
9.	श्री सियागंज साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	49/05-09-2013	267/30-01-2018	श्री संतोष जोशी, व.स.नि.
10.	श्री शिव महालक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	197/05-09-2013	268/30-01-2018	श्रीमती कविता चावला, व.स.नि.
11.	श्री महावीर कृपा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	51/05-09-2013	269/30-01-2018	श्री विजय उपरीत, व.स.नि.
12.	श्री काशीराम साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	117/05-09-2013	270/30-01-2018	श्री विनोद वर्मा, स.नि.
13.	श्री बीसा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	257/05-09-2013	271/30-01-2018	श्री एफ.ए.खान, स.नि.

1	2	3	4	5
14.	श्री रणजीत बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	568/18-08-1980	272/30-01-2018	श्री देवेन्द्र कुमार जैन, स.नि.
15.	पूर्वोत्तर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1152/23-03-1993	273/30-01-2018	श्री मनोज शेलके, स.नि.
16.	पार्थनाथ साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1163/23-03-1993	274/30-01-2018	श्री देवेन्द्र कुमार जैन, स.नि.
17.	माँ भुवनेश्वरी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	191/05-09-2013	275/30-01-2018	श्री अनिल कुमार राय, उप-अंकेक्षक.
18.	भारत उदय साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	168/05-09-2013	276/30-01-2018	श्री शैलेन्द्र कुमार महाजन, उप-अंकेक्षक.
19.	भारत माता साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	240/05-09-2013	277/30-01-2018	श्री सुनील कुमार सक्सेना, उप-अंकेक्षक.
20.	निर्मल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	56/05-09-2013	278/30-01-2018	श्री श्याम सिंह सिसौदिया, उप-अंकेक्षक.

यह सूचना-पत्र सर्व संबंधितों की जानकारी के लिये आज दिनांक 26 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(417)

इन्दौर, दिनांक 26 फरवरी, 2018

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) एवं (2) के तहत रजिस्ट्रीकरण समाप्ति बाबत ]

क्र.गृह.-विधि/2018/542.—पूर्व में जारी इस कार्यालयीन सूचनापत्रों के संबंध में तथा दैनिक समाचार-पत्रों (इन्दौर संस्करण) में निम्नांकित संस्थाओं के पदाधिकारियों/सम्बद्ध सदस्यों एवं जन सामान्य के सूचनार्थ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के तहत निम्नांकित संस्थाएं पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने के कारण तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित होकर पंजीकृत की गई थी, उसमें असफल रहने तथा विधिक रूप से प्रेषित सूचना-पत्रों/समाचार-पत्रों में प्रकाशन उपरान्त भी सम्बन्धित संस्था पदाधिकारियों/हितबद्ध सदस्यों द्वारा विधिक रूप से पक्ष समर्थन/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु विनिर्दिष्ट तिथियों पर, विनिर्दिष्ट स्थान एवं समय पर उपस्थित नहीं होने से अथवा कोई आपत्तियां या प्रतिवाद पेश न करने से निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका पंजीयन क्रमांक उनके नाम के समक्ष अंकित है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18(क)(1) एवं (2) के तहत रजिस्ट्रीकरण समाप्ति आदेश उनके नाम के समक्ष अंकित क्रमांक एवं दिनांक से जारी करते हुए शासकीय समानुदेशिनी भी नीचे वर्णित तालिका अनुसार नियुक्त किया गया है और शासकीय समानुदेशिनी द्वारा संबंधित संस्था के संबंध में समस्त आनुषांगिक एवं परिणामिक कार्यवाही जो संस्था के लिये विधि अनुसार आवश्यक हो, के निराकरण हेतु अधिकृत किया गया है. इस आदेश के अनंतर अधिकृत शासकीय समानुदेशिनी के अलावा किसी अन्य अनाधिकृत संस्था पदाधिकारी/सदस्य द्वारा कोई व्यवहार संस्था के किसी भी प्रकार के क्रियाकलापों, संव्यवहारों एवं अन्यान्य कार्यों के लिये किया जाता है, तो ऐसी की गई समस्त कार्यवाही अवैधानिक होगी. एतदर्थ निम्न तालिका में वर्णित समस्त संस्थाओं/हितबद्ध सदस्यों, जन सामान्य के सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ निम्नानुसार विधिक रूप से जारी किये गये आदेश की सूचना प्रसारित की जाती है:-

क्र.	पंजीयन निरस्त की गई संस्था का नाम	संस्था का पंजीयन क्रमांक व दिनांक जो निरस्त किया गया	पंजीयन निरस्ती आदेश क्रमांक व दिनांक	प्राधिकृत शासकीय समानुदेशिनी का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	बालकृष्ण साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	152/05-09-2013	211/19-01-2018	श्री एस.एल.वास्केल, अंकेक्षण अधिकारी.
2.	बालराजे साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	224/05-09-2013	212/19-01-2018	श्री एम.एस.चौहान, अंकेक्षण अधिकारी.

1	2	3	4	5
3.	किसान इरिगेशन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2670/07-03-2014	213/19-01-2018	सुश्री दीपमाला राठौर, स.नि.
4.	मैक्सलाईन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	166/05-09-2013	214/19-01-2018	श्री रोहित मुकाती, स.नि.
5.	मालवा सह.शक्कर कारखाना स्टॉफ साख सहकारी संस्था मर्या.,इन्दौर.	621/02-02-1981	215/19-01-2018	श्री एच.एस.तिवारी स.नि.
6.	कशिश साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	195/05-09-2013	216/19-01-2018	श्री पूनमचंद्र माहोरे, स.नि.
7.	कमदगिर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	199/05-09-2013	217/19-01-2018	श्री प्रवीण कुमार नासेरी, स.नि.
8.	कृषि महाविद्यालय कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या.,इन्दौर.	263/05-09-2013	218/19-01-2018	श्री प्रदीप कुमार जैन, स.नि.
9.	बैरवा गुरु संत बालाजी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2403/05-06-2009	219/19-01-2018	श्री के.एस.मण्डलोई, अंकेक्षण अधिकारी.
10.	बालाजी मर्केन्टाईल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	2129/28-11-2013	220/19-01-2018	श्री डी.एस.चौहान, अंकेक्षण अधिकारी.
11.	सहकारी मुद्रणालय प्रकाशन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	18/25-09-1959	455/16-02-2018	श्री के.के जमरे, व.स.नि.
12.	समता सहकारी प्रेस सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	249/29-02-1964	454/16-02-2018	श्री पी.सी.सोलंकी, व.स.नि.
13.	भाविका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्राथ सह संस्था मर्या., इन्दौर.	1969/22-04-2000	453/16-02-2018	श्री दीपक सोनी, स.नि.
14.	भारतीय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	177/05-09-2013	452/16-02-2018	श्री सजय कुचनकर, स.नि.
15.	हरिजन कल्याण यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	545/06-08-1991	451/16-02-2018	श्री अजय पाठक, स.नि.
16.	माँ बिजासन यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	546/05-10-1991	450/16-02-2018	श्रीमती सविता भायरे, स.नि.
17.	दुर्गा यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	591/20-05-1992	449/16-02-2018	सुश्री दीपमाला राठौर, स.नि.
18.	भावना यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	553/28-10-1992	448/16-02-2018	श्री रोहित मुकाती, स.नि.
19.	विकास यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	569/03-02-1992	447/16-02-2018	श्री एच.एस.तिवारी, स.नि.
20.	माँ कालका यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	558/03-02-1994	446/16-02-2018	श्री पूनमचंद्र माहोरे, स.नि.

यह सूचना-पत्र सर्व संबंधितों की जानकारी के लिये आज दिनांक 26 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

इन्दौर, दिनांक 26 फरवरी, 2018

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) एवं (2) के तहत रजिस्ट्रीकरण समाप्ति बाबत ]

क्र./गृह.-विधि/2018/543.—पूर्व में जारी इस कार्यालयीन सूचना-पत्रों के संबंध में तथा दैनिक समाचार-पत्रों (इन्दौर संस्करण) में निम्नांकित संस्थाओं के पदाधिकारियों/सम्बद्ध सदस्यों एवं जन सामान्य के सूचनार्थ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के तहत निम्नांकित संस्थाएं पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने के कारण तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित होकर पंजीकृत की गई थी, उसमें असफल रहने तथा विधिक रूप से प्रेषित सूचना-पत्रों/समाचार-पत्रों में प्रकाशन उपरान्त भी सम्बन्धित संस्था पदाधिकारियों/हितबद्ध सदस्यों द्वारा विधिक रूप से पक्ष समर्थन/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु विनिर्दिष्ट तिथियों पर, विनिर्दिष्ट स्थान एवं समय पर उपस्थित नहीं होने से अथवा कोई आपत्तियां या प्रतिवाद पेश न करने से निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका पंजीयन क्रमांक उनके नाम के समक्ष अंकित है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18(क)(1) एवं (2) के तहत रजिस्ट्रीकरण समाप्ति आदेश उनके नाम के समक्ष अंकित क्रमांक एवं दिनांक से जारी करते हुए शासकीय समानुदेशिनी भी नीचे वर्णित तालिका अनुसार नियुक्त किया गया है और शासकीय समानुदेशिनी द्वारा संबंधित संस्था के संबंध में समस्त आनुषांगिक एवं परिणामिक कार्यवाही जो संस्था के लिये विधि अनुसार आवश्यक हो, के निराकरण हेतु अधिकृत किया गया है। इस आदेश के अनंतर अधिकृत शासकीय समानुदेशिनी के अलावा किसी अन्य अनाधिकृत संस्था पदाधिकारी/सदस्य द्वारा कोई व्यवहार संस्था के किसी भी प्रकार के क्रियाकलापों, संयवहारों एवं अन्यान्य कार्यों के लिये किया जाता है, तो ऐसी की गई समस्त कार्यवाही अवैधानिक होगी। एतदर्थ निम्न तालिका में वर्णित समस्त संस्थाओं/हितबद्ध सदस्यों, जन सामान्य के सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ निम्नानुसार विधिक रूप से जारी किये गये आदेश की सूचना प्रसारित की जाती है:-

क्र.	पंजीयन निरस्त की गई संस्था का नाम	संस्था का पंजीयन क्रमांक व दिनांक जो निरस्त किया गया	पंजीयन निरस्ती आदेश क्रमांक व दिनांक	प्राधिकृत शासकीय समानुदेशिनी का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	साहिल यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	556/17-04-1993	445/16-02-2018	श्री प्रवीणकुमार नासेरी, स.नि.
2.	साईनाथ परिवहन को-ऑप यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1716/01-03-1995	444/16-02-2018	श्री प्रदीप कुमार जैन, स.नि.
3.	प्रियदर्शनी परिवहन यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	603/21-03-1996	443/16-02-2018	श्री के.एस.मण्डलोई, अंकेक्षण अधिकारी.
4.	कलसी ऑटोमोबाईल परिवहन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	157/05-09-2013	442/16-02-2018	श्री के.एस.जमरा, अंकेक्षण अधिकारी.

यह सूचना-पत्र सर्व संबंधितों की जानकारी के लिये आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(419)

अभय खरे,  
संयुक्त पंजीयक.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च, 2018-चैत्र 2, शके 1940

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 04 अक्टूबर, 2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य में कहीं-कहीं वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील कैलारस (मुरैना), कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), जावरा (रतलाम), कन्नौद, सतवास, खातेगांव (देवास), सरदारपुर, कुच्छी, डही (धार) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि.मी. तक.—तहसील हाटपिपल्या, उदयनगर (देवास), गंधवानी (धार), लांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि.मी. तक.—तहसील जैतहरी (अनूपपुर), पिपलौदा (रतलाम) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि.मी. तक- तहसील सिंगरौली (सिंगरौली) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. **जुताई.**— जिला ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, शाजापुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला में जुताई एवं जिला ग्वालियर में रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

3. **बोनी.**— जिला सिंगरौली में फसल अलसी व राई एवं शिवपुरी, ग्वालियर, बड़वानी, नरसिंहपुर में कहीं-कहीं पर रबी फसल का बोनी कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

4. **फसल स्थिति.**— जिला सतना, इन्दौर में पानी की कमी से फसलों पर एवं शहडोल, रतलाम, नरसिंहपुर में खरीफ फसलों पर तथा अलीराजपुर में उड़द फसल पर खण्डवा, राजगढ़, सीहोर, बैतूल, छिन्दवाड़ा में सोयाबीन फसल पर कीट, इल्ली, पीला मैजिक रोग व जिला विदिशा में खरीफ फसल की कटी हुई फसल पर वर्षा का आंशिक प्रभाव होना प्रतिवेदित किया गया है।

5. **कटाई.**— जिला सिंगरौली में मक्का, धार में फसल सोयाबीन, मक्का फसल व सीधी में खरीफ फसलों की कटाई कार्य कहीं-कहीं पर चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, सतना, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, बड़वानी, खण्डवा, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषजनक होना प्रतिवेदित किया गया है।
8. **चारा.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 04 अक्टूबर, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) बाजरा, तुअर. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	. .				
2. पोरसा	. .				
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. कैलारस	4.0				
6. सबलगढ़	. .				
<b>2. जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, तुअर, मूँग, सोयाबीन, उड़द, ग्वार, गन्ना, कपास समान (2) धान समान. ज्वार, तुअर, ग्वार, गन्ना सुधरी. शेष फसलें बिगड़ी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .				
2. कराहल	. .				
3. विजयपुर	. .				
4. वीरपुर	. .				
5. बडोदा	. .				
<b>3. जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	. .				
2. भिण्ड	. .				
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. गोरमी	. .				
7. रौन/मिहोना	. .				
8. मौ	. .				
<b>4. जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है. रोपाई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .				
2. डबरा	. .				
3. भितरवार	. .				
4. चिनोर	. .				
5. घाटीगांव	. .				
<b>5. जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. धान समान. तिल, उड़द कम. (2) गन्ना समान. शेष फसलें बिगड़ी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवदा	. .				
2. दतिया	. .				
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6. जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) सोयाबीन, तिल अधिक. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बैराढ़	..				
9. बदरवास	..				
<b>7. जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) उड़द, मक्का अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढौरा	..				
<b>8. जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) सोयाबीन, उड़द, मक्का, मूंग सामान्य. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	..				
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	..				
<b>9. जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) धान, तिल अधिक. ज्वार मूंगफली, सोयाबीन. अरहर कम. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	..				
<b>10. जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . . 4. (1) धान, तिल अधिक. तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लोण्डी	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामल्हरा	..				
8. महाराजपुर	..				
9. लवकुश नगर	..				
10. धुवारा	..				
11. बक्सवाहा	..				
12. चंदला	..				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>11. जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमरिया	. .				
9. शाहनगर	. .				
<b>12. जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		उड़द, मूंग, अरहर, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		मूंगफली, सोयाबीन कम.		
4. सागर	. .		(2) उपरोक्त फसलें कम.		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. कंसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				
<b>13. जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) गन्ना, सोयाबीन, धान, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		मूंगफली, तुवर, ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		सुधरी.		
4. पथरिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई		
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
<b>14. जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. पानी की कमी के कारण फसलों में क्षति हुई है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) सोयाबीन, रामतिल, कम.	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		तुअर, तिल, उड़द, मूंग,	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		धान, ज्वार, मक्का, बाजरा,		
4. नागौद	. .		मूंगफली, कोदों-कुटकी समान.		
5. उचेहरा	. .		(2) सोयाबीन, उड़द, मूंग, धान		
6. अमरपाटन	. .		बिगड़ी हुई, शेष फसलें		
7. रामनगर	. .		समान.		
8. मैहर	. .				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
<b>15. जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	. .		4. (1) धान, सोयाबीन कम. उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		मूंग, तुअर, ज्वार, कोदों	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		अधिक.		
4. हनुमना	. .		(2) सोयाबीन, उड़द, मूंग		
5. हुजूर	. .		बिगड़ी. शेष फसलें समान.		
6. गुढ़	. .				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकर्चुलियान	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>16. जिला शहडोल:</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .	खड़ी फसल पर कीड़ों	4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .	का प्रभाव है.	तिल, अधिक. कोदो,	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .		सोयाबीन समान.		
4. बुढ़ार	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
5. गोहपारू	. .				
6. जैतपुर	. .				
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	50.0		4. (1) मक्का अधिक, धान, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		तुअर, तिल, कोदों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	11.0		(2) धान, सोयाबीन बिगड़ी.		
4. पुष्पराजगढ़	2.0		शेष समान.		
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) उड़द, अरहर, ज्वार, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		मूंग-मोठ अधिक. धान कम.	चारा पर्याप्त.	
3. चंदिया	. .		मक्का, कोदों समान.		
4. नौरोजाबाद	. .		(2) धान बिगड़ी. शेष फसलें		
5. मानपुर	. .		समान.		
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .	रबी फसलों की बोनी	4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .	चालू है. खरीफ फसलों	कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .	की कटाई कार्य चालू है.	(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	. .				
<b>20. जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू, फसल	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .	राई व अलसी बोनी कार्य	4. (1) मक्का, उड़द, ज्वार, राहर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .	चालू. फसल मक्का की	कोदों, तिल, धान कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सरई	. .	कटाई का कार्य चालू.	(2) मक्का, उड़द, धान बिगड़ी.		
4. माडा	. .		शेष फसलें समान.		
5. सिंगरौली	63.5				
<b>21. जिला मंदसौर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) सोयाबीन, उड़द, मक्का.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>22. जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4.(1) मक्का, उड़द, मूंगफली, अधिक. सोयाबीन, अरहर, मूंग, तिल, ज्वार कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगौली	. .				
4. जीरन	. .				
5. रामपुर	. .				
6. मनासा	. .				
<b>23. जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2 खरीफ फसलों पर सफेद गिड़ार एवं पीला मैजिक रोग से प्रभावित.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	2.0		4.(1) मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. ताल	. .				
6. रावटी	. .				
7. पिपलोदा	47.0				
8. रतलाम	. .				
<b>24. जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2 कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4.(1) सोयाबीन कम. मक्का, उड़द, तुअर, मूंग, मूंगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
<b>25. जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	. .		4.(1) सोयाबीन, मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें कम.		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
<b>26. जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू रबी फसल की बोनी का चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	. .		4.(1) तुअर, उड़द, मूंग अधिक. सोयाबीन, मक्का, ज्वार कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. पोलाय कलां	. .				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	. .				
7. गुलाना	. .				
<b>27. जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4.(1) ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, तिल अधिक. सोयाबीन, कपास, मूंगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	10.0				
6. हाटपिपल्या	18.0				
7. सतवास	15.0				
8. उदयनगर	22.0				
9. खातेगांव	8.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>28. *जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
<b>29. जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. फसल उद्द पर पीला मैजिक.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, उद्द. अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. उदयगढ़	. .				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
7. भामरा	. .				
<b>30. जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. सोयाबीन, मक्का की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) मक्का, कपास, गन्ना अधिक, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	1.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	15.0				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	34.0				
8. डही	5.0				
<b>31. जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. वर्षा से आंशिक प्रभाव.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) मक्का, तुअर, सोयाबीन, कपास, गन्ना कम. ज्वार, उद्द, मूंगमोठ, मूंगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. इन्दौर	. .				
4. गौतमपुरा	. .				
5. महु	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
6. हातोद	. .				
<b>32. जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) कपास अधिक. धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, तुअर, मूंगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
<b>33. जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) मक्का, गन्ना, अधिक. ज्वार, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. राजकोट (राजपुर)	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>34. जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. सोयाबीन व उड़द फसल	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..	इल्ली प्रकोप एवं अफलन	4. (1) उड़द सामान्य. सोयाबीन, ज्वार,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	..	प्रकोप से प्रभावित.	मूंगफली कम. मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. खालवा	..		तुअर, कपास अधिक.		
4. पंधाना	..		(2) सोयाबीन, उड़द, बिगड़ी.		
5. हरसूद	..		शेष सामान्य.		
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. उड़द की कटाई व कपास	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..	की चुनाई का कार्य चालू	4. (1) कपास, मूंगफली, मूंग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..	है.	उड़द, तुअर.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
<b>36. जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. सोयाबीन पर कीड़ों का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	..	प्रकोप.	4. (1) धान, ज्वार, उड़द, मूंगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	..		कम. मक्का, अरहर, सोयाबीन	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	..		मूंग, तिल.		
4. ब्यावरा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. कटी फसल पर वर्षा	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..	का प्रभाव.	4. (1) सोयाबीन, उड़द, मूंग.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) सोयाबीन ठीक, शेष	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..		प्रभावित.		
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. समसाबाद	..				
9. त्योंदा	..				
10. पठारी	..				
11. ग्यारसपुर	..				
<b>38. *जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बैरसिया	..		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. बैरागढ़	..		(2) . .		
3. हुजूर	..				
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. सोयाबीन पर पीला मैजिक	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..	का प्रभाव.	4. (1) धान, उड़द अधिक. ज्वार,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आप्टा	..		मक्का, तुअर, मूंग, सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	..		तिल कम. मूंगफली समान.		
4. नसरुल्लागंज	..		(2) धान, ज्वार, तुअर, मूंगफली,		
5. रेहटी	..		तिल समान. शेष बिगड़ी.		
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40. जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4 (1) धान, सोयाबीन, तुअर, मक्का	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		ज्वार.		
4. गोहरगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
<b>41. जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. अपर्याप्त.
1. बैतूल	. .	का कार्य चालू है.	4 (1) सोयाबीन, धान कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .	सोयाबीन पर पीला मौजिक	मक्का अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	. .	की शिकायत है.	(2) मक्का अधिक. शेष फसल		
4. शाहपुर	. .		बिगड़ी हुई.		
5. चिचौली	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
<b>42. जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. फसल सोयाबीन की	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .	कटाई का कार्य चालू है.	4 (1) धान, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	. .		सोयाबीन, मूँगमोठ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढी	. .				
<b>43. जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. अल्प वर्षा से आंशिक	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .	रूप से कीड़ों का प्रभाव.	4 (1) सोयाबीन कम. उड़द, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		मक्का अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. रेहटगांव	. .				
5. हॉडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
<b>44. जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4 (1) धान, मक्का, तुअर, सोयाबीन	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		कम. उड़द, मूँग अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
<b>45. जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4 (1) धान, मक्का, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		उड़द, तिल सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	. .		(2) . .		
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>46. जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू. बोनी प्रारंभ.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	..				
2. गोटेगांव	..				
3. करेली	..				
4. गाडरवारा	..				
5. तेंदूखेड़ा	..				
<b>47. जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला	..				
2. नैनपुर	..				
3. बिछिया	..				
4. निवास	..				
5. नारायणगंज	..				
6. घुघरी	..				
<b>48. जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिण्डोरी	..				
2. शाहपुरा	..				
3. बजाग	..				
<b>49. जिला छिंदवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. सोयाबीन फसल पर कीड़ों के प्रकोप से क्षति होने की संभावना है.	3. .. 4. (1) मक्का अधिक, सोयाबीन कम. धान, मूंगफली समान. (2) मक्का, धान सामान्य. सोयाबीन, मूंगफली, बिगड़ी.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	..				
2. तामिया	..				
3. परासिया	..				
4. जून्नारदेव	..				
5. सांसर	..				
6. बिछुआ	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. उमरेठ	..				
10. मोहखेड	..				
11. हरई	..				
12. चांद	..				
13. पांडुर्णा	..				
<b>50. जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, उड़द, सोयाबीन, गन्ना अधिक. धान, मक्का, कोदों, कुटकी, तुअर, मूंग, तिल, रामतिल कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. बरघाट	..				
3. कुरई	..				
4. कवलारी	..				
5. लखनादोन	..				
6. छपारा	..				
7. घनोरा	..				
8. घंसोर	..				
<b>51. जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान सामान्य. (2) धान सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	30.2				
3. किरनापुर	..				
4. बैहर	..				
5. वारासिवनी	..				
6. कटंगी	..				
7. लालबर्रा	..				
8. तिरोडी	..				
9. परसवाड़ा	..				
10. बिरसा	..				
11. खैरलाँजी	..				

टीप :- \*जिला झाबुआ, भोपाल, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,  
संयुक्त आयुक्त,  
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(407)